

भारत सरकार /GOVT. OF INDIA
केन्द्रीय जल आयोग /CENTRAL WATER COMMISSION
योजना एवम् अन्वेषण मंडल /Planning and Investigation Division
फरीदाबाद/Faridabad

No. 102/06/NIQ/2018-19/ 322-24

दिनांक: 12.02.2019

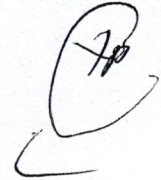
कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति के ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार योजना परिमंडल और योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद के अंतर्गत उपलब्ध सेवा पुस्तिकाओं के पृष्ठों को कलर स्कैन करने के कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फर्म संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन बंद लिफाफे में दिनांक 15.02.2019 को अपराह्न 14:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 14:30 बजे इच्छुक कोटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

कार्य की सूची एवं विशिष्टियाँ (Specifications): संलग्न विवरण के अनुसार।

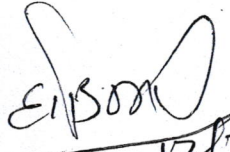
नियम एवं शर्तें:

1. उपरोक्त कार्य हेतु दर्शायी गयी पृष्ठों की संख्या पूर्णतः अनुमानित है जो वास्तविक तौर पर घट बढ़ सकती है।
2. उपरोक्त कार्य कार्यालय में ही सम्पन्न करना होगा जिसके लिए कम्प्यूटर, स्कैनर इत्यादि फर्म द्वारा स्वयं लाना होगा।
3. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फर्म के लेटर पैड पर होनी चाहिए।
4. कोटेशन आमंत्रण सूचना नंबर एवं खोलने की तारीख लिफाफे के ऊपर लिखी होनी चाहिए।
5. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
6. दर के साथ कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
7. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग्स प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
8. सभी कार्य विशिष्टियों(Specifications) के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के 02 दिनों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्त बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।
10. कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।



11. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाला कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. फ़र्म GST पंजीकृत होनी चाहिए एवं GST संख्या कोटेशन में दर्शायी होनी चाहिए।
14. कोटेशन फ़ार्म-1 एवं 2 को पूर्णतया: भरकर ही जमा करना होगा, संशयात्मक स्थिति एवं अधूरी सूचना की स्थिति में कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट <https://www.cwc.gov.in> देखे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(एच. पी. चौधरी)
अधिशायी अभियंता

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियंता, योजना परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद ।
2. लेखा शाखा, योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद ।
3. सूचना पट्ट।

फॉर्म संख्या:-1

कार्य का नाम: "योजना परिमंडल और योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद के अंतर्गत उपलब्ध सेवा पुस्तिकाओं के पृष्ठों को स्कैन करने के कार्य"।

1.	Name of Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration):	
2.	Name of proprietor / Director of Company / Firm / agency:	
3.	Full Address of Reg. Office :	
4.	Telephone No.	
5.	FAX No.	
6.	E-Mail Address :	
7.	Full address of Operating/ Branch Office :	
	Telephone No.	
	FAX No.	
	E-Mail Address :	
8.	PAN No. (Attach attested copy)	
9.	GST Registration No. (Attach attested copy)	
10.	Give details of the major similar contracts handled by the tendering Company / Firm /Agency during the last five years (attach copy)	
11.	Additional information, if any (Attach separate sheet, if required)	

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति का नाम:

एजेंसी/ फर्म की सील:

मात्र की अनुसूची

कार्य का नाम: "योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद के अंतर्गत उपलब्ध सेवा पुस्तिकाओं के पृष्ठों को स्कैन करने के कार्य"।

क्र.सं.	विवरण	चार्जस	दर रुपये में		टिप्पणी
			अंकों में	शब्दों में	
1.	Printing Of Posters (Flex Material (6'X3') with Graphics design &recomposing of text art work Creation	Per Poster			

***Goods & Service Tax amount as applicable will be reimbursed by the department only after the submission of original paid challan/receipt in this office.**

(एच. पी. चौरसिया)
अधिशायी अभियंता
योजना एवं अन्वेषण मण्डल,
केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद